



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931

No. 651]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 816(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) तथा धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुस्क्षण, अनुस्क्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुस्क्षण)नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुस्क्षण, अनुस्क्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुस्क्षण)संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुस्क्षण, अनुस्क्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और

उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुसूची(नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में, —

(क) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(गक) “गैर-लाभकारी संगठन” से ऐसा कोई अस्तित्व या संगठन अभिप्रेत है जो ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट है या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या किसी समान राज्य विधायन के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;”

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(चक) “विनियामक” से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकरण या कोई सरकार अभिप्रेत है जिसमें यथास्थिति बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों या मध्यवर्तियों को अनुज्ञप्ति, प्राधिकार, रजिस्ट्रीकरण या विनियमित या अधीक्षण करने की शक्ति निहित है ;

(ग) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(छ) “संदेहास्पद संव्यवहार” से खंड (ज) में निर्दिष्ट ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत संव्यवहार का प्रयास भी है, चाहे वह नकद किया गया हो अथवा नहीं जो किसी सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति को

(क) यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है कि अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के आगम में, अंतर्वलित मूल्य को ध्यान में रखे बिना अंतर्वलित हो सकती हैं ; या

(ख) किसी असमान्य या अनुचित रूप से जटिल परिस्थितियों में किए गए प्रतीत होते हैं ; या

(ग) बिना किसी आर्थिक संगतता या सद्भावपूर्ण प्रयोजन में किए गए प्रतीत होते हैं ; या

(घ) यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है कि आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों में वित्त पोषण अंतर्वलित हो सकता है ;” ।

3. मूल नियम के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(खक) गैर -लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये या विदेशी करेंसी में उसके समतुल्य से अधिक मूल्य के अंतर्वलित सभी संव्यवहार ;” ।

4. मूल नियम के नियम 5 में, “यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण”, शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, “इसके विनियामक” शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियम के नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6. संव्यवहार के अभिलेखों का प्रतिधारण - नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों को, ग्राहक और यथास्थित, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के बीच हुए संव्यवहारों की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।”

6. मूल नियम के नियम 7 में, “यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण”, शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, “इसके विनियामक” शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल नियम के नियम 8 में, —

(क) उपनियम (1) में, “खंड (क) और खंड (ख)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “खंड (क), खंड (ख) और खंड (खक)”, शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यथास्थिति बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान या मध्यवर्ती और उसके कर्मचारी नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में दी गई सूचना के तथ्यों को पूर्णतया गोपनीय रखेंगे।”

8. मूल नियम के नियम 9 में, —

(क) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती, —

(क) किसी खाता आधारित संबंधों के प्रारंभ करते समय उसके ग्राहक की पहचान, उसकी पहचान का सत्यापन और कारबार के संबंध का प्रयोजन तथा आशयित प्रकृति की जानकारी प्राप्त करना ; और

(ख) सभी अन्य दशाओं में, प्राप्त पहचान का सत्यापन करना है :

(i) पचास हजार रुपये के समतुल्य रकम या उससे अधिक का कोई संव्यवहार चाहे वह एकल संव्यवहार या बहुसंव्यवहार जब वह संबद्ध प्रतीत होता हो ; या

(ii) कोई अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण।

(1क) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती, हिताधिकारी स्वामी की पहचान करेंगे और उसकी पहचान के सत्यापन के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेंगे।

(1ख) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती, प्रत्येक ग्राहक के साथ कारबार के संबंध की बाबत सम्यक् सतर्कता रखेंगे और यह सुनिश्चित करने के क्रम में संव्यवहारों का निकटता से परीक्षण करेंगे तथा ग्राहक, उसके कारबार और जोखिम की रूपरेखा की जानकारी लगातार रखेगा।

(1ग) यथास्थिति, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान या मध्यवर्ती कोई अज्ञात लेखा या मिथ्या नाम का लेखा नहीं रखेंगे।

(2) जहां ग्राहक कोई व्यक्ति है वहां वह उपनियम (1) प्रयोजन के लिए यथास्थिति बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को 'शासकीय विधिमान्य दस्तावेज जिसमें उसकी पहचान और पता के ब्यौरे अंतर्विष्ट हो, एक नवीनतम फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज जिसके अंतर्गत ग्राहक के व्यापार की प्रकृति भी है और वित्तीय प्रास्थिति से संबंधित दस्तावेज भी हैं जिनकी यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के द्वारा अपेक्षा की जाए, देगा।'

(ख) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6क) जहां कोई विधिक व्यक्ति है, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती यह सत्यापित करेगा कि ऐसे ग्राहक के निमित्त कार्य करने के लिए तात्परित व्यक्ति ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, का सत्यापन करेगा और उस व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा।”

(ग) उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(7) (i) उपर्युक्त उपनियम (1) से उपनियम (6क) तक की अपेक्षाएं सम्मिलित करते हुए विनियामक मार्गनिर्देश जारी करेगा और ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करने के बड़े हुए उपायों में ग्राहकों के प्रकार, कारबार संबंध और प्रकृति तथा संव्यवहारों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए विहित कर सकेगा।”

(ii) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, उपनियम (1) से उपनियम (6क) और उपर्युक्त खंड (i) के अधीन जारी मार्ग निर्देश को सम्मिलित करते हुए, अपने ग्राहकों की सत्य पहचान अवधारित करने के कार्यक्रम को किसी ग्राहक की पहचान कार्यक्रम को बनाएगा और निष्पादित करेगा।”

9. मूल नियम के नियम 10 में “यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण” शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, “इसके विनियामक”, शब्द रखे

[अधिसूचना संख्यांक 13/2009/फा. सं. 6/8/2009-ईएस]

एस. जी. पी. वर्गीस, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 444 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती उनका संशोधन अधिसूचना संख्यांक 717 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2005 और सा.का.नि. 389 (अ) तारीख 24 मई, 2007 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of Section 12 and Section 15 read with clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules),—

In rule 2, sub-rule (1),—

(a) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

‘(ca) “non profit organisation” means any entity or organisation that is registered as a trust or a society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any similar State legislation or a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);’;

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

‘(fa) “Regulator” means a person or an authority or a Government which is vested with the power to license, authorise, register, regulate or supervise the activity of banking companies, financial institutions or intermediaries, as the case may be;’;

(c) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

‘(g) “Suspicious transaction” means a transaction referred to in clause (h), including an attempted transaction, whether or not made in cash, which to a person acting in good faith—

(a) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of an offence specified in the Schedule to the Act, regardless of the value involved; or

(b) appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity; or

(c) appears to have no economic rationale or bonafide purpose; or

(d) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to terrorism;’.

3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (1), after clause (B), the following clause shall be inserted, namely :—

“(BA) all transactions involving receipts by non-profit organisations of value more than rupees ten lakh, or its equivalent in foreign currency;”.

4. In the principal rules, in rule 5, for the words “the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, or the Insurance Regulatory Development Authority, as the case may be,” where ever they occur, the words, “its Regulator,” shall be substituted.

5. In the principal rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

“6. Retention of records of transactions—The records referred to in rule 3 shall be maintained for a period of ten years from the date of transactions between the client and the banking company, financial institution or intermediary, as the case may be.”.

6. In the principal rules, in rule 7, for the words “the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, or the Insurance Regulatory Development Authority, as the case may be,” where ever they occur, the words, “its Regulator,” shall be substituted;

4113 40109-2

7. In the principal rules, in rule 8,—
- (a) in sub-rule (1), for the word, brackets and letters, “clauses (A) and (B)”, the word, brackets and letters “clauses (A), (B) and (BA)” shall be substituted;
- (b) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely :—
- “Provided that a banking company, financial institution or intermediary, as the case may be, and its employees shall keep the fact of furnishing information in respect of transactions referred to in clause (D) of sub-rule (1) of rule 3 strictly confidential.”.

8. In the principal rules, in rule 9,—

- (a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

“(1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall,—

- (a) at the time of commencement of an account-based relationship, identify its clients, verify their identity and obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship, and
- (b) in all other cases, verify identity while carrying out:
- (i) transaction of an amount equal to or exceeding rupees fifty thousand, whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be connected, or
- (ii) any international money transfer operations.

(1A) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall identify the beneficial owner and take all reasonable steps to verify his identity.

(1B) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall exercise ongoing due diligence with respect to the business relationship with every client and closely examine the transactions in order to ensure that they are consistent with their knowledge of the customer, his business and risk profile.

(1C) No banking company, financial institution or intermediary, as the case may be, shall keep any anonymous account or account in fictitious names.

(2) Where the client is an individual, he shall for the purpose of sub-rule (1), submit to the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, one certified copy of an ‘officially valid document’ containing details of his identity and address, one recent photograph and such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the banking company or the financial institution or the intermediary, as the case may be :

Provided that photograph need not be submitted by a client falling under clause (b) of sub-rule (1).”;

- (b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(6 A) Where the client is a juridical person, the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall verify that any person purporting to act on behalf of such client is so authorised and verify the identity of that person.”;

- (c) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(7) (i) The regulator shall issue guidelines incorporating the requirements of sub-rules (1) to (6A) above and may prescribe enhanced measures to verify the client’s identity taking into consideration type of client, business relationship or nature and value of transactions.

(ii) Every banking company, financial institution and intermediary as the case may be, shall formulate and implement a Client Identification Programme to determine the true identity of its clients, incorporating requirements of sub-rules (1) to (6A) and guidelines issued under clause (i) above.

9. In the principal rules, in rule 10, for the words “the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, or the Insurance Regulatory Development Authority, as the case may be,”, wherever they occur, the words, “its regulator;”, shall be substituted.

[Notification No. 13/2009/F. No. 6/8/2009-ES]

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

Note: The principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. G.S.R. 444(F), dated 1st July, 2005 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 717(E), dated 13th December, 2005 and No. G.S.R. 389(E), dated 24th May, 2007.